न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 137/2022
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 27.07.2022
निर्णय दिनांक – 24.03.2025

अनवान

1. गोविन्दलाल पिता गोमालाल कुमावत निवासी धोईन्दा तह. व जिला राजसमन्द।
2. अम्बाबाई पत्नि गोमालाल कुमावत निवासी धोईन्दा तह. व जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।
2. नगरपरिषद राजसमन्द जरिये आयुक्त/सभापति।

......................विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री उदयलाल कुमावत
विपक्षी सं. 1 – पैरोकार राज
विपक्षी सं. 2 – अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

<u>निर्णय</u>

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1233, 1237, 1238 कुल किता 3 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य की होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त आराजीयात के पडौसी प्रार्थी से भूमि के सीमा संबंध मे आये दिन विवाद करते है एवं लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण इन रोजमर्रा के विवादो से अपनी भूमियों मे आये दिन होने वाले नुकसान से निजात चाहते है आवारा पशुओ व सुअरो द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बचाव के लिए प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में रास्ते की तरफ कुछ जगह थोहर की बाड व लोहे की जाली लगा रखी है परन्तु सीमाओ पर स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन पडौसी एवं विपक्षीगण द्वारा सीमाओ को लेकर विवाद किया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व उक्त वर्णित आराजीयात की चारो दिशाओ की राजस्व टीम गठित कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 1 की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी सं. 1 पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया उक्त वर्णित भूमियो के प्रार्थीगण खातेदार कृषक हैं, सभी पडौसियों को सूचित किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1233, 1237, 1238 कुल किता 3 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थीगण आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमियों की पत्थरगढी करवाना

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमियों की पत्थरगढी का आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1233, 1237, 1238 कुल किता 3 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजीयात निर्विवादित रूप से प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण पत्थरगढी कराने के अधिकारी है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/- रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1233, 1237, 1238 कुल किता 3 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमियों के पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुए नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण अदा करे। तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द)

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय राजसमन्द)

उक्त आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द)

Scanned with ACE Scanner